7/8/25 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी वकील उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादिया कैलाशकंवर वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया जिसे दिनांक 3-3.2022 को दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण संख्या-23/2022 कायम किए गए। उक्त वाद पत्र के प्रतिवादी संख्या-1 ने भी एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 समान आराजियात के बंटवारे के लिए समान पक्षकारों को संयोजित करते हुए पेश किया जो 28/3/2022 को दर्ज रजिस्टर हुआ और प्रकरण संख्या-30/2022 कायम हुए। दिनांक 5/5/2022 को उक्त दोनों प्रकरणों को संकलित करने का आदेश देते हुए मौके पर कब्जे व हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने का आदेश दिया गया। परन्तु सहवन से पश्चातवर्ती वाद संख्या 30/2022 को नम्बर से कम करना रह गया जबकि प्रकरण संख्या 30/2022 में नियमित

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज |
|---|---|
| | आगामी कार्यवाही प्रकरण संख्या 23/2022 किए जाने का आदेश देते हुए ऑर्डर शीट का अंकन समाप्त कर दिया गया। अतः प्रकरण संख्या 30/2022 को नम्बर से कम किया जावे।<br>प्राथमिक डिक्री जारी होने पर राजस्व अधिकारियों द्वारा दिनांक 8/9/2022 को मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 13/9/2022 को न्यायालय में बँटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति पेश की गई जो कि न्यायालय को बँटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने से पूर्व ही प्रस्तुत कर दी गई थी। दिनांक 10/10/2022 को तहसीलदार रायपुर द्वारा बँटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर न्यायालय की तारीख पेशी दिनांक 13/10/2022 को बँटवारा प्रस्ताव तथा उस पर पूर्व में प्राप्त प्रकरण स. 23/2022 के प्रतिवादीगणों की आपत्ति के प्रार्थना पत्र को रिकॉर्ड पर लिया गया। वादी को आपत्ति के प्रार्थना पत्र पर जवाब हेतु कई अवसर न्यायहित में दिए जाने के पश्चात दिनांक 5/6/2025 को वादी द्वारा जवाब पेश किया गया।<br>आपत्ति पर बहस सुनी गई। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। बँटवारा प्रस्ताव एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बँटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रायपुर को पुनः नियमानुसार बँटवारा प्रस्ताव प्रकरण संख्या 23/2022 के लिए तैयार करते हेतु लिखा जाकर पत्रावली वास्ते पुनः बँटवारा प्रस्ताव के दिनांक 28/08/2025 को पेश हो।<br>[signature]<br>[signature] |

FORM NO. 03
फर्द अहकाम
(नियम 26)

बजा अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा

अनवान

भागु वगैरह बनाम [illegible] वगैरह

मुकदमा धारा 53-54 RTA मु०न० 30 सन 2022

| | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई |
|---|---|---|
| 28/3/22 | पत्रावली पेश हुई। वादी/वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53-54 के तहत् पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/विपक्षीगण दिनांक 19/4/22 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>(सुन्दरलाल बम्बोडा)<br>सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)<br>रायपुर जिला भीलवाड़ा | |
| 19/4/22 | पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता सुना उपस्थित है। प्रतिवादी सं 1 की ओर से अधिवक्ता महेश दाधीच द्वारा आवेदन पत्र पेश किया जिसे दर्ज कर प्रतिलिपि दी [illegible] प्रतिवादी सं 2 सुवा स्वयं उपस्थित है विभाजन में आपत्ति नहीं की है। पत्रावली वास्ते जवाब दि. 5/5/22 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर) | |
| 5/5/22 | पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वर्णित आराजियात से सम्बन्धित विपक्षी [illegible] 1 का विभाजन का वाद पत्र पेश कर रखा है जिसके प्र. सं 23/22 दर्ज होकर विचाराधीन है उक्त वाद प्रार्थना पत्र [illegible] वाद है वाद की विषय वस्तु पक्ष विपक्ष समान है। इसलिए [illegible] | (हस्ताक्षर) |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| | वाद को प्रकरण 23/22 के साथ संलग्न किया जावे कि पर वादी की कोई आपत्ति नहीं है जिस पर अपनी सहमति व्यक्त की गयी<br><br>अत: उक्त प्रकरण 30/22 को इसी न्यायालय में विचाराधीन है। जिससे साथ संलग्न किया जावे। नियमित आगामी कार्यवाही प्रकरण क्र 23/22 में की जावेगी<br><br>(हस्ताक्षर)<br>/5/2022 |